रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 2001/भाद्र 12, 1923

No. 440] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2001/BHADRA 12, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2001

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2001

सा. का. नि. 637(अ).—राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 22 के उपबंधों को लागू करने में कठिनाई पैदा हो गई है;

और यत: संविधान (इक्यानवे) संशोधन विधेयक, 2000 जिसमें पूरे भारत के लिए संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रावधान भी हैं, संसद में लंबित पड़ा है;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की उत्तर प्रदेश में राज्य विधान सभा के आगामी आम चुनावों से पहले पूरा होने की कोई संभावना नहीं है;

अत: अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 94 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2001 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निर्धारित दिन से पहले लागू संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कानून के अनुसार नहीं हो जाता है।

नई दिल्ली,
दिनांक : 29-8-2001

के. आर. नारायणन
भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं. 12012/21/2000-एस. आर. (भाग-III)]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2001

The Uttar Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2001

G.S.R. 637(E).—The following Order made by the President is published for general information :

Whereas, a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of section 22 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (20 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act) in relation to the delimitation of Legislative Assembly Constituencies in Uttar Pradesh;

And whereas, the Constitution (Ninty-first) Amendment Bill, 2000 which also contains provisions for delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies for the whole of India is pending in Parliament;

And whereas, the delimitation of Legislative Assembly Constituencies in terms of provisions contained in section 22 of the said Act is unlikely to be completed before the next general election to the State Legislative Assembly in Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 94 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the President hereby makes the following order, namely :—

1 (1) This Order may be called the Uttar Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2001.

(2) It shall come into force at once.

2. The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 applicable before the appointed day under the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 shall continue to apply to the elections to the Legislative Assembly in Uttar Pradesh till such time as the delimitation of constituencies takes place in accordance with law.

New Delhi.

Date : 29-8-2001

K. R. NARAYANAN

PRESIDENT OF INDIA

[F. No. 12012/21/2000–SR (Part.-III)]

R .K. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.